

प्रकरण संख्या 89/2007

उनवान दलपत सिंह / तहसीलदार टोक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जन

तागिख
हुक्म

उनियारा वगैरहा के विरुद्ध प्रस्तुत कि गई है। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.2024 से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 को अपास्त किया जा चुका है। विचाराधीन अपील में पुनः निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है।

राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी टोक) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरुद्ध पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 90/2007 उनवान श्रीमति विश्व ज्योति बनाम राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार टोक में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.01.2024 को निर्णय पारित कर अपील अपीलाट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक का निर्णय दिनांक 08.02.2007 को निरस्त किया गया है। चूंकि विचाराधीन अपील उनवान दलपत सिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोक भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरुद्ध ही प्रस्तुत कि गई है। इस कारण विचाराधीन अपील के साथ न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 कि प्रति संलग्न करते हुये अपील का निस्तारण किया जाना न्याय संगत है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विचाराधीन अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक ने तहसीलदार टोक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में श्रीमति सुशिला कुमारी धर्म पत्नि श्री रावराजा राजेन्द्र सिंह के नाम ग्राम लाम्बा व निमोला तहसील टोक में कुल 464.14 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज होने के कारण सिलिंग सीमा से अधिक होने पर उक्त भूमि को अधिग्रहण कर राजस्व रिकार्ड में सिलिंग सिवायचक दर्ज कर तहसीलदार टोक को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने का उल्लेख करते हुये दिनांक 08.02.2007 को निर्णय पारित किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 90/2007 उनवान श्रीमति विश्व ज्योति बनाम राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार टोक में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.01.2024 को निर्णय पारित कर अपील अपीलाट स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक का निर्णय दिनांक 08.02.2007 को निरस्त किया गया है। विचाराधीन अपील उनवान दलपत सिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोक भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरुद्ध ही प्रस्तुत कि गई है। चूंकि अपील संख्या 90/2007 निर्णय दिनांक 04.01.2024 व प्रश्नगत अपील में विवादित भूमि समान होने के कारण अपील में पुनः निर्णय पारित किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। प्रश्नगत अपील का निर्णय अपील संख्या 90/2007 निर्णय दिनांक 04.01.2024 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

जिला कलेक्टर
टोक